दाण्डिक अपील कमांक-218/16

नेशनल लोक अदालत दिनांक 10.02.2018

सभी अपीलार्थीगण सहित श्री सुनील कांकर अधिवक्ता उपस्थित। प्रत्यर्थी राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

फरियादी / आहत विवेक सोनी सहित श्री पी०के० वर्मा अधिवक्ता उपस्थित ने उक्त आहत की पहचान की।

प्रकरण उभयपक्ष के निवेदन अनुसार इस लोक अदालत में सुनवाई में लिया गया।

फरियादी / आहत विवेक सोनी ने इस अपील प्रकरण में सभी अपीलार्थी / अभियुक्तगण से राजीनामा करने हेतु अनुमति दिये जाने बावत् एक आवेदन पत्र धारा 320 (2) एवं धारा 320 (5) दं०प्र०सं० का पेश किया गया।

सुना गया। उपस्थित आहत विवेक सोनी ने सभी अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण से स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा हो जाना प्रकट करते हुये कोई विवाद शेष नहीं रहना बताया।

अपीलार्थींगण की ओर से यह दांडिक अपील दं.प्र.सं. की धारा 374 के अंतर्गत न्यायिक मिजस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरदा (श्री ए०के० गुप्ता) द्वारा आपराधिक प्र०क० 548/10 में घोषित निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 14.09. 2016 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने सभी अपीलार्थीगण/आरोपीगण को भाठदंठसंठ की धारा 323/34 में न्यायालय उठने तक की अवधि के अवसान तक की सजा तथा 800-800 रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया गया है और अर्थदंड के व्यतिक्रम में 15-15 दिवस के साधारण कारावास पृथक से भुगताए जाने का आदेश दिया है।

उपस्थित अपर लोक अभियोजक ने आलोच्य निर्णय एवं दण्डादेश के संबंध में राज्य की ओर से कोई अपील पेश नहीं होना बताया है।

अपील प्रकरण एवं उसके साथ संलग्न आपराधिक प्रकरण क्रमांक 548/10 राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र गोहद विरुद्ध मुरारी आदि का अवलोकन किया गया, जिससे पाया जाता है कि उक्त दोषसिद्ध अपराध धारा 323/34 इस अपील न्यायालय की अनुमित से राजीनामा योग्य है एवं प्रकरण में आवेदक पीड़ित होकर राजीनामा करने हेतु सक्षम हैं एवं मामले में

अन्य कोई पीड़ित नहीं है। अतः बाद विचार न्यायहित में उभयपक्ष के मध्य प्रकट हुये मधुर संबंधों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायहित में उक्त आवेदन पत्र स्वीकार कर वांछित अनुमति आवेदक को प्रदान की जाती है।

उभयपक्ष की ओर से आपसी राजीनामा आवेदन पत्र पेश किया गया। सुना गया। उपस्थित आहत विवेक सोनी ने प्रकरण में सभी अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण से स्वेच्छायापूर्वक तथा बिना किसी दबाव के राजीनामा हो जाना प्रकट करते हुये कोई विवाद शेष नहीं रहना बताया एवं उनके मध्य मधुर संबंध स्थापित हो जाना बताया है एवं अनुपस्थित अपीलार्थी/अभियुक्त अन्नू उर्फ अविनाश की ओर से उनके अधिवक्ता ने राजीनामा होना स्वीकार किया है तथा सभी अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विरुद्ध दोषसिद्ध अपराध 323/34 भा0दं०सं० राजीनामा योग्य है।

अतः प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र स्वेच्छिक एवं विधिसम्मत होने से स्वीकार किया जाकर, उसके आधार पर यह अपील स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय एवं दण्डादेश को अपास्त कर सभी अपीलार्थी / अभियुक्तगण को दोषसिद्ध अपराध धारा 323 / 34 भा0दं0सं0 में दोषमुक्त किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालयं के समक्ष अभियुक्तगण द्वारा जमा कराई गई अर्थदण्ड की राशि 800–800 रूपये अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को विधिवत वापस की जावे।

अपलार्थी / अभियुक्तगण के जमानत एवं मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

> प्रकरण में कोई भी जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को निःशुल्क प्रदाय की जावे। प्रकरण में आगामी पूर्व से नियत तिथि निरस्त हो। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

संजय सिंह गुर्जर एड. बृजराज सिंह गुर्जर एड. सदस्य सदस्य

(एस०के०गुप्ता) पीठासीन अधिकारी ख०पी०क०१८ एवं प्रथम अपर जिला न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड